संख्या–2018/9–आ–3–2002–10 महा/97

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
विनियमित क्षेत्र–सीतापुर,
सीतापुर।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 14 जून, 2002

विषय : विनियमित क्षेत्र–सीतापुर की सीतापुर महायोजना–2021 की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या–2733/व0नि0(2)/सीतापुर म0यो0/दिनांक 21.2.2002 एवं पत्र संख्या–318/व0नि0(4) सीतापुर म0यो0/2002–03, दिनांक 20.5.2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के निदेश 1960 के निदेश संख्या–10(क)(7) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा सीतापुर महायोजना 2021 पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वीकृत/अनुमोदित महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।

2. कृपया सीतापुर महायोजना पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाये जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. महाोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन (कटिंग) शासन को कृपया प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की हस्ताक्षरित प्रति) **संजय भूसरेड्डी**
विशेष सचिव।

संख्या : 2018/9—आ—3—2002—10महा/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियेाजक, उ0प्र0, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ, को उनके उक्त पत्रों दिनांक 21.2.2002 एवं 20.5.2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या–4457(1)/9–आ–3–2001–08महा0/2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी, मिर्जापुर/अध्यक्ष,**
मिर्जापुर–विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, मिर्जापुर।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 15 जून, 2002

विषय : मिर्जापुर–विन्ध्याचल महायोजना–2011 पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–1560/वनि(2)/मिर्जा0–विन्ध्या0म0यो0/2001–02, दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिर्जापुर–विन्ध्याचल महायोजना–2011 'उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–4457/9–आ–3–2001–08महा0 2001, दिनांक 15 जून, 2002 की प्रति, महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृति/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया मिर्जापुर–विन्ध्याचल महायोजना–2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एंव कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति) **संजय भूसरेड्डी**

विशेष सचिव।

संख्या : 4457(1)/9—आ—3—2001—08महा0/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या–2135 / 9–आ–3–2002–12महा / 99

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी / जिलाधिकारी,

विनियमित क्षेत्र–प्रतापगढ़,

प्रतापगढ़।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 27 जून, 2002

विषय : विनियमित क्षेत्र–प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ महायोजना–2011 की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, के पत्र संख्या–1897 व0नि0(4)(प्रतापगढ़)–वि0क्षे0–2001–02, दिनांक व 8–11–2001 एवं पत्र संख्या–64 / व0नि0(4) प्रतापगढ़ वि0 क्षे0 / 2002–03, दिनांक 01 जून, 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के निदेश 1960 के निदेश संख्या–10(क)(7) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा प्रतापगढ़ महायोजना–2011 पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वीकृत / अनुमोदित महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।

2. कृपया प्रतापगढ़ महायोजना पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाये जहाँ सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

2. महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन (कटिंग) शासन को कृपया प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की हस्ताक्षरित प्रति) **संजीव कुमार**

विशेष सचिव।

संख्या : 2135/9—आ—3—2001—12महा/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ, को उनके उक्त पत्रों दिनांक 8.11.2001 एवं 01.6.2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या–2487 / 9–आ–3–2002–3महा / 2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 12 जुलाई, 2002

विषय : मथुरा–वृन्दावन महायोजना (वर्ष 2021) (भाग–क) पर शासन का अनुमोदन / स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या–425 / वनि(1) / महायोजना / मथुरा–वृन्दावन / 02–03, दिनांक 30 मई, 2002 एवं आपके पत्रांक–657 / नियोजन / म0वृ0वि0प्रा0 / 2002–2003,दिनांक 09 जुलाई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–क) 'उत्तर प्रदेश (नगर नियोजन एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा–10 के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र की स्वीकृति / हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2021 (भाग–क) शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्व निरीक्षण किया जा सकता है।

3. महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन (कटिंग) शासन को कृपया प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संख्या : 2487/9—आ—3—2002—3महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उनके पत्र संख्या—760/वनि (1)महायोजना—मथुरा—वृन्दारवन/02—03, दिनांक 29 जून, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संख्या–2077(1)/9–आ–3–2002–7महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सोनभद्र।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 31 जुलाई, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''रिहन्द नगर परिक्षेत्रीय योजना–2011'' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्रम नियेाजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या–273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002/03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिहन्द नगर परिक्षेत्रीय येाजना–2011 ''उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–2077/9–आ–3–2002–7महा/2002, दिनांक 31 जुलाई, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया रिहन्द नगर परिक्षेत्रीय योजना–2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति) **संजीव कुमार**

विशेष सचिव।

संख्या : 2077(1)/9—आ—3—2002—7महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृति प्रति ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संख्या–3042 / 9–आ–3–2002–3महा / 2001

प्रेषक,

संजीव कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 23 अगस्त, 2002

विषय : फतेहपुर सीकरी महायोजना–2021 पर शासन का अनुमोदन / स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–117 / जी0डी0 / सीएजी0 / 2002, दिनांक 27 जुलाई, 2002 एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या–1180 / वनि0(1) / म0पो0 / फते0सीकीरी / 02–03, दिनांक 5 अगस्त, 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फतेहपुर सीकरी महायोजना–2021 ''उत्तर प्रदेश (नगर नियोजक एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा–10 के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र की स्वीकृत / हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया फतेहपुर सीकरी महायोजना–2021 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाये जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षरण किया जा सकता है।

3. महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी। कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासनको प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति) **संजीव कुमार**

विशेष सचिव।

संख्या : 3042(1)/9—आ—3—2002—3महा/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, नगर एवं ग्राम, नियोजन विभाग, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 5 अगस्त, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संख्या–2075(1)/9–आ–3–2002–8महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सोनभद्र।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 17 अगस्त, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''शक्तिनगर परिक्षेत्रीय योजना–2011'' पर शासन पर अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्रम नियेाजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या–273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002–03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''शक्तिनगर परिक्षेत्रीय योजना–2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–2075/9–आ–3–2002–8महा/2002, दिनांक 31 अगस्त, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया शक्तिनगर परिक्षेत्रीय योजना–2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं पेपर कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति) **संजीव कुमार**

विशेष सचिव।

संख्या : 1956(1)/9—आ—3—2002—04महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियेाजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृति प्रति।

संख्या–1956(1)/9–आ–3–2002–04महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष

शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

सोनभद्र।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 02 सितम्बर, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''चोपन–ओवरा–डाला परिक्षेत्रीय योजना–2011'' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्रम नियेाजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या–273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002–03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''चोपन–ओवरा–डाला परिक्षेत्रीय योजना–2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–1956/9–आ–3–2002–4महा/2002, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया चोपन–ओबरा–डाला परिक्षेत्रीय योजना–2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति) **संजीव कुमार**

विशेष सचिव।

संख्या : 2075(1)/9—आ—3—2002—08महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृत प्रति।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संख्या–2078 / 9–आ–3–2002–06महा / 2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष**

शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

सोनभद्र।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 02 सितम्बर, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''रेनूकूट पिपरी परिक्षेत्रीय योजना–2011'' पर शासन का अनुमोदन / स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्रम नियेाजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या–273 / वनि(2) / शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0 / 2002–03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''रेनूकूट–पिपरी परिक्षेत्रीय योजना–2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–2078 / 9–आ–3–2002–6महा / 2002, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 की प्रति, महायोजना / परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत / हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया रेनूकूट–पिपरी परिक्षेत्रीय योजना–2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं पेपर कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति) **संजीव कुमार**

विशेष सचिव।

संख्या : 2078(1)2 / 9–आ–3–2002–07महा / 2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियेाजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृति प्रति।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संख्या–2076(3)/9–आ–3–2002–05महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष

शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

सोनभद्र।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 04 अक्टूबर, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''अनपरा परिक्षेत्रीय योजना–2011'' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्रम नियेाजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या–273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002–03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''अनपरा परिक्षेत्रीय योजना–2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–2076/9–आ–3–2002–5महा/2002, दिनांक 04 अक्टूबर, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया 'अनपरा परिक्षेत्रीय योजना–2011' शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं पेपर कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(महायोजना की अनुमोदित प्रति) **संजीव कुमार**

विशेष सचिव।

संख्या : 2076(4)/9—आ—3—2002—5महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एव ग्राम नियेाजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

संलग्नक : स्वीकृत महायोजना की प्रति ।

क्रम—संख्या—273(क)

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2002

अश्विन 5, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग—3

संख्या 3286/9—आ—3.2002.9 आर0ए0—92

लखनऊ 27 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

प 0आ0—667

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि उत्तर प्रदेश (निर्माणकार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन भूमि के अव्यवस्थित वितरण; भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उप निवेशों की बढ़त को रोकने और उपयुक्त योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार की वृद्धि से जिला आजमगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र का विनियमन अपेक्षित है।

अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,

राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र की विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं :–

विनियमित क्षेत्र–मुबारकपुर, जिला–आजमगढ़

(अ) मुबारकपुर नगरपालिका परिषद क्षेत्र, जिला–आजमगढ़

(ब) अमिलो सेन्सस टाउन क्षेत्र, जिला आजमगढ़।

(स) तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामीण क्षेत्र :–

1. दयाल पट्टी
2. डिलिया
3. पाही जमीन
4. फिरोजाबाद
5. डिह
6. कौड़िया
7. बरडीहा उर्फ गढ़ेरूआ
8. दरियाबाद
9. अतरडीहा 10. प्यारेपुर
11. चकलेब अहमदपुर उर्फ चकिया
12. टंडिया खान
13. नूरपुर सराय हाजी
14. आदमपुर
15. झासेपुर
16. देवली खालसा
17. देवली आइमा
18. अमुड़ी
19. चक मोलन
20. चकता
21. दामोदरपुर
पट्टी 22. गजहडा
23. सराय फिरोज
24. चिउरही
25. चक सिकठी
26. सिकठशाह मुहम्मदपुर
27. मदारपुर
28. सलारपुर
29. चांड़ी
30. सराय मुबारक
31. मुस्तकाबाद खास
32. रसूलपुर
33. मलिकसुदनी
34. उदयभानपुर
35. खौरा
36. वामनपुर
37. बसरतपुर
38. बड़ा गांव

आज्ञा से,

जे.एम. मिश्र

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3286/IX-A-3—2002-9 R.A.-92, dated September 27, 2002 :

No. 3286/1X-A-3—2002-9R.A.-92

Dated Lucknow, September, 27, 2002

Whereas the State Government is of opinion that the following area in distric of Azamgarh requires to be regulated under the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operation) Act, 1958: (U.P. Act no. XXXIV of 1958) with a view of the prevention of bad laying out of land, haphazard evection of buildings and growth of sub-

standard colonies and with a view of the development and expansion of the said area according to the proper planning.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the said Act the Governor is pleased to declare the following area to be regulated area :-

REGULATED AREA-MUBARAKPUR, DISTRICT AZAMGARH

A. Area falling within the limits of Municipal Board, Mubarakpur, district Azamgarh.

B. Area falling within the Limits of Amilo Cencus Town, district Azamgarh.

C. Area falling within the limits of the following villages of Tehsil—Sadar, district Azamgarh : -

1. Dayal Patti
2. Dillia
3. Pahi Zamin Patti
4. Firozabad
5. Diha
6. Kauria
7. Bardiha *Urf* Gareruoa
8. Daryabad
9. Atardiha
10. Piyarepur
11. Chak Leb Ahmadpur *Urf* Chakia
12. Tandiwa Khan
13. Nurpur Saraihazi
14. Adampur
15. Jhasepur
16. Deoli Khalsa
17. Deoli Aima
18. Amuri
19. Chak Molana
20. Chak Taj
21. Demoderpur
22. Gajhra
23. Sarai Firoz
24. Ghiurahi
25. Chak Sikthi
26. Sikthi Shah Mohammadpur
27. Madarpur
28. Salarpur
29. Chandi
30. Sarai Mubarak
31. Mustakabad Khas
32. Rasulpur
33. Malik Sudni
34. Udaibhanpur
35. Khaura
36. Wamanpura
37. Basaratpur
38. Baragaon

By order,

J.S. MISHRA

Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–3

संख्या–3286(2)/9–आ–3–2002–9 आर0ए0/92

लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–34 सन् 1958) की धारा–2 के खण्ड (छ) के उपबन्धों के अनुसरण के राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से परगना मजिस्ट्रेट, सदर, जिला–आज़मगढ़ को सरकारी अधिसूचना संख्या–3286/9–आ–3–2002–9 आर0ए0/92, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अधीन इस रूप में घोषित विनियमित क्षेत्र–मुबारकपुर (जिला–आजमगढ़) के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

जे0एस0मिश्र

सचिव।

संख्या–3286(2)/9–आ–3–2002–9 आर0ए0/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट–4 खण्ड ''ख'' में प्रकाशित करायें तथा 50 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को एवं नीचे अंकित अधिकारियों को 10–10 प्रतियाँ सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

संख्या–3286(2)/9–आ–3–2002–9 आर0ए0/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला मजिस्ट्रेट, आज़मगढ़।

2. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुबारकपुर, आजमगढ़।

3. अध्यक्ष, जिला परिषद, आजमगढ़।

4. अध्यक्ष, नगर पंचायत, अमिलो, आजमगढ़।

5. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़।

6. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, आजमगढ़।

7. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, आजमगढ़।

8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, लखनऊ।

9. परगना मजिस्ट्रेट, सदर, जिला–आजमगढ़

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

क्रम–संख्या–273(क)

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)
लखनऊ, शनिवार, 28 सितम्बर, 2002

अश्विन 5, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–3

संख्या 2989 / 9—आ—3.2002.1 आर0ए0—98

लखनऊ 28 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

प0आ0—675

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन भूमि के अव्यवस्थित वितरण; भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़त को रोकने और उपयुक्त योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार की वृद्धि से जिला औरेया के निम्नलिखित क्षेत्र का विनियमन अपेक्षित है।

अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र की विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं :—

विनियमित क्षेत्र—औरैया, जिला—औरैया

(अ) नगर पालिका परिषद्, औरैया के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र।

(ब) तहसील औरैया, जनपद औरैया के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामीण क्षेत्र :—

1. पढ़ीन
2. फरीदपुर
3. आल्हेपुर
4. भरतपुर
5. निरोत्तमपुर
6. ककोर
7. दूधियाखेड़ा
8. नरायणपुर
9. राहतपुर
10. भरसैन
11. सूरान
12. जैतापुर
13. धौरैरा
14. भैरोपुर
15. नन्दनपुर
16. भीखमपुर
17. जरहौलिया
18. कस्बा खानपुर
19. पैगम्बरपुर
20. द्वारिकापुर औरैया
21. भगवन्तपुर
22. खरका
23. आनेपुर
24. समरतपुर
25. आराजी गुजब्ता
26. शानपुर इमामअली
27. औरैया
28. बरम्हुपुर
29. मधुपुर
30. रौतियापुर
31. पिरहूली

आज्ञा से,

जे0एस0मिश्र

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2989/IX-A-3—2002-1 R.A.-98, dated September 28, 2002 :

No. 2989/1X-A-3—2002-1R.A.-98

Dated Lucknow, September, 28, 2002

Whereas the State Government is of opinion that the following area in the district of Auraiya requires to be regulated under the Uttar radesh (Regulation of Building operations) Act, 1958 (U.P. Act no. XXXIV of 1958) with a view of the prevention of bad laying out of land, haphazard evection of building and growth of sub-standard Colonies and with a view of the development and expansion of the said area accoording to the proper planning.

Now, Therefore, in exercise of the powersa under sub-section (1) of section 3 of the said Act the Govenor is pleased to declare the folloing area to be regulated area :—

Regulated area-Auraiya, District Auriya

A. Area falling with in the limits of Municipal Board Auariya.

B. Area falling within the limits of the following villages of Tahsil Auraiya, District Auraiya :-

1. Padheen
2. Fareedpur
3. Mallhepur
4. Bharatpur
5. Nirottampur
6. Kakor
7. Dudhiya Khera
8. Narayanpur
9. Rahatpur
10. Bharsain
11. Suran
12. Jaitapur
13. Dhauraira
14. Bhairopur
15. Nandanpur
16. Bheekhampur
17. Jarhauliya
18. Kasba Khanpur
19. Paigamberpur
20. Dawarikapur Auriaya
21. Bhagwantpur
22. Kharka
23. Aanepur
24. Samaratpur
25. Arazi Munjabta
26. Shanpur Imam Ali
27. Auriaya
28. Barmahupur
29. Madhupur
30. Rautiyapur
31. Pirhulee

By order,

J.S. MISHRA

Sachiv.

क्रम–संख्या–273(क–3)

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 28 सितम्बर, 2002

अश्विन 5, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–3

संख्या 2989;1द्ध/9–आ–3.2002.1 आर0ए0–98

लखनऊ 28 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

प0आ0–673

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा–4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या 2989/9–आ–3–2002–1 आर0ए0/98 दिनांक 28 सितम्बर, 2002 के अधीन इस रूप में घोषित विनियमित क्षेत्र औरैया, जनपद औरैया के लिए निम्नलिखित नियंत्रक प्राधिकारी का गठन करते हैं, जो उक्त अधिनियम के अधीन अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन करेगा।

नियंत्रक प्राधिकारी–औरैया

1. जिला मजिस्ट्रट, औरैया अध्यक्ष

2. अध्यक्ष, जिला पंचायत, औरैया सदस्य

3. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, औरैया सदस्य

4. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियेाजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, सदस्य

उ0प्र0, कानपुर

5. अधिशासी अभियन्ता, लोकनिर्माण विभाग, इटावा/औरैया सदस्य

6. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, जलनिगम, इटावा/औरैया सदस्य

7. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, इटावा/औरैया सदस्य

आज्ञा से,

जे0एस0मिश्र

सचिव।

उत्तर प्रदेश असाधारण बजट, 28 सितम्बर, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2989 (1)/IX-A-3—2002-1 R.A.-98, dated September 28, 2002 :

No. 2989(1)/IX-A-3—2002-1R.A.-98

Dated Lucknow, September, 28, 2002

In exercise of the power under saction 4 of the Uttar Pradesh (Regulation of Building operations) Act, 1958 (U.P. Act no. XXXIV of 1958) the Governor is pleased to constitute as under Controlling Auithority for the Auraiya Regulated Area, district Auraiya declared as such under Government notification no. 2989/IX-A-3 R.A.-98, dated September 28, 2002 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette for the discharge of function assigned it under the said Act.

Controlling Authority

1. District Magistrate, Auraiya -Chairman
2. Chairman, Zila Panchayat, Auraiya -Member
3. Chairman, Nagarpalika Parishad, Auraiya - Member
4. Associate Planner, Sambhagiya Niyojan Khand, Town & Country Planning Department, Uttar Pradesh, Kanpur - Member
5. Executive Engineer, P.W.D., Etawah/Auraiya - Member
6. Executive Engineer,,U.P. Jal Nigam, Nirman Khand, Etawah/Auraiya - Member
7. Executive Engineer, U.P. Electricity Board, Etawah/Auriya - Member

By order,

J.S. MISHRA

Sachiv.

संख्या–4501 / 9–आ–3–2001 एल0यू0सी0 / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव,

औद्योगिक विकास अनुभाग–4

उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–24 अक्टूबर, 2001

विषय : रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुर्नवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–4 के अर्द्धशा0 पत्रांक यू0ओ051 / 77–4–2001, दिनांक 29 सितम्बर, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूग्ण इकाईयों की सरप्लस भूमि का भू–उपयोग उक्त क्षेत्र के लिये प्रस्तावित आवासीय / वाणिज्यिक उपयोग के रूप में प्रयोग किये जाने संबंधी औद्योगिक विकास विभाग के नीति विषयक शासनादेश संख्या यू0ओ0 51 / 87–4–2001, दिनांक 31 मार्च, 2001 को आवास विभाग द्वारा भी अंगीकार कर लिया गया है। भू–उपयोग प्रयोग परिवर्तन की यह सुविधा उन्हीं शर्तों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार होगी जो औद्योगिक विकास विभाग के अधीन प्राधिकरणों आदि के संबंध में लागू हैं।

2. उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी, यथा उद्योग बन्धु, को प्रस्तुत किया जायेगा, तथा नोडल अधिकारी यह परीक्षण करने के उपरान्त कि प्रश्नगत रूग्ण इकाई के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव में निर्धारित सभी शर्तें पूर्ण हो रही हैं, वे स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव संबंधित विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

3. औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राधिकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव सर्वोच्च प्राथमिकता पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायेगा। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या :– 4501(1)/9–आ–3–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।

4. उद्योग बन्धु, उ0प्र0।

5. आवास बन्धु, उ0प्र0।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–3

संख्या–1217 / 9–आ–3–2002–20 विविधि / 2002

लखनऊः दिनांकः 18जून, 2002

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में स्थित विनियमित क्षेत्रों हेतु तैयार किये गये महायोजना प्रारूप पर जन सामान्य से आमंत्रित की गयी आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार कर निस्तारण करने हेतु उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश,1960 की धारा–10ए(4) में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत एतद् द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता हैः

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. सम्बंधित सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड सदस्य
3. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सदस्य
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (यदि हो) सदस्य
5. सम्बंधित विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी सदस्य

जे0एस0 मिश्र

सचिव।

संख्या–1217 / 9–आ–3–2002–20 विविध / 02,तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7–बन्दरियाबाग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–1421 / बिजनौर / महा0यो0 / 2001–02, दिनांक 23.3.2002 के संदर्भ में।
(2) प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त नियत प्रधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, बिजनौर को उनके पत्र संख्या–14 / नि0प्रा0 / वि0क्षे0 / बिजनौर / 2002,दिनांक 21मई, 2001 के

संदर्भ में।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या–3970 / 9–आ–3–2002–55 विविध / 2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–02 नवम्बर, 2002

विषय : प्राधिकरण द्वारा परिक्षेत्रीय विकास योजना ''जोनल उेवलपमेन्ट प्लान'' तैयार किये जाने के

सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सम्बंधित नगरों की महायोजना तैयार किये जाने के पश्चात उक्त क्षेत्र की परिक्षेत्रीय विकास योजना (जोनल डेवलपमेंट प्लान) तैयार किये जाने में रुचि नहीं ली जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। आप अवगत हैं कि ''उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973'' की धारा–9 (1) में यह प्राविधान है कि ''प्राधिकरण महायोजना तैयार करने के साथ–साथ या तत्पश्चात यथाशक्य उन परिक्षेत्रों से जिनमें विकास क्षेत्र विभाजित किया जा सकता है प्रत्येक परिक्षेत्र के लिए एक परिक्षेत्रिय विकास योजना तैयार करने के लिए अग्रसर होगा। स्पष्ट है कि सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व है जिसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने से नियोजन से सम्बंधित अनेक समस्यायें उत्पन्न हो सकती है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–9 में दी गयी व्यवस्थानुसार महायोजना तैयार करने के साथ–साथ परिक्षेत्रीय विकास योजनायें (जोनल डेवलपमेन्ट प्लान) भी तैयार कराने का कष्ट करें और यह भी सुनिश्चित करें कि महायोजना में प्रदर्शित विभिन्न परिक्षेत्र की प्राथमिकता निश्चित करते हुए 'परिक्षेत्रीय योजना' तैयार की जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या :– 3970(1)/9–आ–3–2002–55विविध/2002तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।